न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
514/2018/प्रार्थना पत्र	23.08.2018	14.09.2018

उनवान

1– चन्द्रा पिता देबी चमार निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
2– महावीर पिता सुरजा चमार निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
3– रणजीत पिता सुरजा चमार निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
4– सायरी पत्नि सुरजा चमार निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
5– सांवरा पिता सुरजा चमार निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
6– संतोक पुत्री सुरजा चमार निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां

– प्रार्थीगण

बनाम

1– रामदेव पिता नाथु बलाई निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
2– उगमा पिता पेमा रेगर निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां
3– पांचु पिता धन्ना बलाई निवासी अरवड़ तह0 फूलियाकलां

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री अक्षयराज रेबारी : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम अरवड़ पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 105 आ0न0

118 रकबा 0.04 है0, आ0न0 125 रकबा 0.33 है0, आ0न0 126 रकबा 0.26 है0 आराजी कुल किता 03 रकबा 0.63 है0 भूमि स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 3 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 14.09.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित जिसने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के विरूद्व दिनांक 14.09.2018 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम अरवड़ पटवार मण्डल अरवड़ खाता संख्या 105 आ0न0 118 रकबा 0.04 है0, आ0न0 125 रकबा 0.33 है0, आ0न0 126 रकबा 0.26 है0 आराजी कुल किता 03 रकबा 0.63 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी मे से आर0न0 118 रकबा 0.04 है9 किस्म गै0मु0 आ0चा0 को छोड़कर शेष आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूं :–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण 1 लगायत 3 के आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरवड़ पटवार हल्का अरवड़तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 105 आ0न0 125 रकबा 0.33 है0, आ0न0 126 रकबा 0.26 है0 आराजी कुल किता 02 रकबा 0.59 है0 के प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे

पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 300/– (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14.09.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा